

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा**  
**पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई** आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :- 424/2022

धर्मवीर पुत्र श्री दलीप जाति जाट निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

— वादी

—बनाम:—

1. खूबराम पुत्र श्री बलदेव जाति जाट निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
2. तहसीलदार राजस्व, पीलीबंगा ।
3. यूको बैंक पीलीबंगा जरिये शाखा प्रबन्धक यूको बैंक पीलीबंगा

— प्रतिवादीगण

**दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा**

—:निर्णय:—

दिनांक :- 16/08/24

वादी की ओर से श्री राम कुमार गोदारा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से श्री महेन्द्र सैन अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार खाता विभाजन कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है—

क. वादी प्रथम पक्ष — चक नम्बर 4 पी बी एन खाता संख्या 25 पत्थर नम्बर 54/322 मुरब्बा नम्बर 18 किला नम्बर 1 2 / 0.095 अनकमाण्ड, 13,14 सालम प्रत्येक 0.253/0.506 हैक्टेयर अनकमाण्ड, किला नम्बर 16,25 सालम प्रत्येक 0.253/0.506 हैक्टेयर कमाण्ड, पत्थर नम्बर 55/322 मुरब्बा नम्बर 19 किला नम्बर 11/2/0.127 कमाण्ड, 12 से 14 सालम प्रत्येक 0.253 हैक्टेयर / 0.759 हैक्टेयर कमाण्ड, किला नम्बर 15/1/ 0.228 कमाण्ड, 15/2/0.025 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला, 16/1/0.228 कमाण्ड, 16/2/0.025 गैरमुमकिन खाला, 17.18 सालम प्रत्येक 0.253/ कुल 0.506 हैक्टेयर कमाण्ड, 19/2/0.164 कमाण्ड, 20/1/0.152 कमाण्ड, 21/1/0.228 अनकमाण्ड, 22/2,23/2 प्रत्येक 0.164/0.328 हैक्टेयर अनकमाण्ड, 24/0.253 कमाण्ड, 25/1/0.228 कमाण्ड, 25/2 /0.025 गैरमुमकिन खाला कुल 4.383 हैक्टेयर जिसमें से 3.151 कमाण्ड, 1.157 अनकमाण्ड, 0.75 गैरमुमकिन खाला 0.075 है.


ख. प्रतिवादी संख्या 1—चक नम्बर 4 पी बी एन खाता संख्या 25/80 पत्थर नम्बर 54/322 मुरब्बा नम्बर 18 किला नम्बर 2/1 / 0.228 कमाण्ड, 2/2/0.025 गैरमुमकिन खाला, 3/3 /0.190 कमाण्ड, 3/4 /0.025 गैरमुमकिन खाला, 4/3 /0.089 कमाण्ड, 4/4/0.025 गैरमुमकिन खाला, 5/1 /0.228 कमाण्ड, 5/2 /0.025 गैरमुमकिन खाला, 6/1/0.139 कमाण्ड, 7/1/0.202 कमाण्ड, 8,9 सालम प्रत्येक 0.253/0.506 कमाण्ड, 1 2/0.158 अनकमाण्ड, 15/0.190 अनकमाण्ड, पत्थर नम्बर 55/322 मुरब्बा नम्बर 1 9 किला नम्बर 1/5/0.076 कमाण्ड, 1/6 /0.025 गैरमुमकिन खाला, 2/1/0.228 कमाण्ड, 2/2/0.025 गैरमुमकिन खाला, 3/1/0.228 कमाण्ड, 3/2/0.025 गैरमुमकिन खाला,

सहायक कलक्टर एव  
पीठासीन अधिकारी पीलीबंगा

4/1/0.228 कमाण्ड, 4/2/0.025 गैरमुमकिन खाला, 5/1/0.202 कमाण्ड, 5/2/0.051 गैरमुमकिन खाला, 6/1/0.228 कमाण्ड, 6/2/0.025 गैरमुमकिन खाला, 7,8,9 सालम प्रत्येक 0.253 कुल 0.759 हैक्टेयर, 10/1 /0.228 कमाण्ड कुल 4.383 हैक्टेयर में से 3.759 हैक्ट. कमांड, 0.348 हैक्ट. अनकंमांड, 0.276 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला का विभाजन मय लगान किया जाकर अलग अलग जमाबन्दी कायम की जावे।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होंने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होंने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होंने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होंने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होंने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 16/08/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
सहायक कलक्टर एवं  
(अमिता बिहारी) उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा